न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 223/2021 ता0 रजू. 11.11.2021

उनवान

1. दुर्गालाल पि0 पोखर जाति बलाई निवासी जैकमाबाद।
2. रामअवतार पि0 पोखर जाति बलाई निवासी जैकमाबाद।
3. गोवर्धन पि0 रामरतन जाति बलाई निवासी जैकमाबाद।
4. प्रधान पि0 रामरतन जाति बलाई निवासी जैकमाबाद।

—वादीगण—

बनाम

1. रामदेवा पुत्र पोखर जाति बलाई निवासी जैकमाबाद।
2. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह।

—प्रतिवादीगण—

दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज
दुरूस्ती, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1. श्री मनोज कुमार चांगल
   अधि0 वादीगण
2. श्री घनश्याम शर्मा
   अधि0 प्रतिवादी नं0 1
3. पेरोकार सरकार

आदेश दिनांकः—22.03.2024

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नं0 132 रकबा 0.37 है0, 208 रकबा 0.20 है0, 213 रकबा 0.37 है0, 221 रकबा 0.87 है0, 368 रकबा 0.65 है0, 369 रकबा 0.55 है0, 370 रकबा 0.62 है0, 97 रकबा 2.10 है0, 98 रकबा 2.39 है0, कुल किता—9 रकबा 8.12 है0 वाके ग्राम जैकमाबाद में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 रामदेवा पुत्र पोखर का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। जो वादीगण व प्रतिवादी की पैत्रक व मौरूसी सम्पति है। जो पूर्वज वादीगण दादा, पिता पोखर के द्वारा बनाई व बसाई गई हैं। पोखर के चार पुत्र रामदेव, रामरतन, दुर्गालाल, रामअवतार हुए। जिनमें से रामरतन फौत हो गया। उसके वारिसान गोवर्धन व प्रधान हैं। पोखर की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की आराजी उक्त प्रतिवादी नं0 1 रामदेवा के अकेले के नाम विरासत में दर्ज हो गई। जबकि चारों पुत्रों के बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा 1/3 रामदेवा प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण नं0 1 व 2 का प्रत्येक का हिस्सा 1/12, वादीगण नं0 3, 4 का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा 1/12 है। इसी अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। उक्तानुसार घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती करवायें जाने के वादीगण कानूनी रूप से हकदार हैं।

अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं0 1 रामदेवा पुत्र पोखर के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में वादीगण नं. 1, 2 को प्रत्येक को हिस्सा 1/12, वादी नं0 3, 4 को हिस्सा 1/12 के तथा प्रतिवादी नं0 1 को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्त कर घोषित फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल करवाया जावें। तकासमा कराया जावें। प्रति0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वाद वादीगण पेश होनें पर तल[illegible] किया गया। जिस पर प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया। वादी[illegible] नं0 1 ने मय अधि0 उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे श[illegible] से जवाब पेश कर निवेदन किया कि रामदेव पु[illegible] पोखर के वारिसान रामदेव, दुर्गालाल, रामअवतार पि0 पोख[illegible] पि0 रामरतन सीता [illegible] अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। अतः वादीगण को उक्त आराजियात में नियमानुसार [illegible] घोषित किया जाना उचित हैं।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे नकल, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 220 ग्राम जैकमाबाद प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र पोखर, नकल नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 10.12.1993 वाके ग्राम जैकमाबाद प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत् 2050 से 2069 प्रदर्श 3, प्रदर्श 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, प्रदर्श 8, प्रदर्श 9, सम्वत् 2041 खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श 10 पेश किये तथा बयानात वादी रामअवतार, गवाह सब्बीर खान के करवायें गयें।

बहस अभि0 उभयपक्ष व पेरोकार सरकार सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र, जवाब दावों व राजीनामें के अनुसार रहीं। दौराने बहस अभि0 वादी ने निवेदन किया कि व तकासमा नहीं चाहते हैं। घोषणा खातेदारी फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज हैं। शेष 3/4 हिस्से अन्य सहखातेदारान के हैं। प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 60 से जाहिर है कि पोखर की विरासत अकेले प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज हो गयीं। जबकि पोखर के चारो पुत्रों में बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद, जवाब दावों, राजीनामों से वाद पत्र कि पुष्टि होती हैं। पोखर के चारों पुत्रों का समान हक हिस्सा हैं। स्वयं प्रतिवादी नं0 1 रामदेवा ने इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश किया हैं। प्रतिवादी नं0 2 तहसीलदार की और से पेश जवाब दावें के अनुसार पोखर के पुत्र रामरतन जो कि फौत हो चुका हैं। उसके दो पुत्र गोवर्धन, प्रधान तथा दो पुत्रिया रेखा, उषा एवं पत्नी सीता हैं। अर्थात रामरतन के हिस्से 1/12 की आराजियात उसके सभी वारिसान में दर्ज होनी चाहिए। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वारिस सिर्फ दोनो पुत्रों को ही बता रखा है। कानूनन सभी के दर्ज होनी चाहिएं।

अतः वाद वादीगण मुताबिक जवाब दावो व राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाकर आराजियात खसरा नं0 132 रकबा 0.31 है0, 208 रकबा 0.20 है0, 213 रकबा 0.31 है0, 221 रकबा 0.87 है0, 368 रकबा 0.65 है0, 369 रकबा 0.55 है0, 370 रकबा 0.62 है0, 97 रकबा 2.10 है0, 98 रकबा 2.39 है0 कुल किता 9 रकबा 8.12 है0 वाके ग्राम जैकमाबाद में प्रतिवादी नं0 1 रामेदवा पुत्र पोखर के नाम दर्ज हिस्से 1/3 में वादीगण नं0 1, 2 को प्रत्येंक को हिस्सा 1/12 के, प्रतिवादी नं0 1 रामदेवा को हिस्सा 1/12 तथा हिस्सा 1/12 के वादीगण 3, 4 गोवर्धन, प्रधान व मृतक रामरतन की पुत्रिया रेखा, उषा एवं पत्नी सीता को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष 3/4 हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी के अनुसार रहेगें। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner